



भारत सरकार / Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office

पता: द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय, हरमू चौक, राँची, झारखण्ड - 834002
Add: 2nd Floor, Headquarter-Jharkhand State Housing Board, Harmu Chowk, Ranchi, Jharkhand - 834002
Tel: 0651-2410002, 2410007; E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in



संख्या: एफ.पी/बी.आर./रोड/157384/2022/242

दिनांक: 16.04.2025

सेवा में,

प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बिहार सरकार, सिंचाई भवन
पटना – 800015.

विषय :- भारतमाला परियोजना के तहत भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-सासाराम (सकलास-पतरा) (40.45-84.30 कि०मी०) कुल 43.85 कि०मी० पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 22.716 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या-04/वन भूमि-17/2025/603/प०व०ज०प० दिनांक 04.04.2025 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- Cost Benefit analysis may be revised.
- Certified copy of area calculation by the concerned DFO.
- Cross-section layout/map of the road.
- High resolution toposheet map of the Forest land proposed for diversion & raising CA with latitude & longitude and duly signed by DFO and User Agency.
- As per the Chapter-11 para 11.2 of Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, Project proponent needs to upload the map indicating alignment of the entire project, highlighting in the portion passing through forest land, along with salient features of the entire project and details of approvals already obtained and/or sought under the Act for other sections of the Project. Hence, Project proponent is requested to upload kml file of the entire project along with the supporting documents.
- As per the DSS analysis, out of the 45.5 ha (DFL) proposed CA area, 26 ha. area is categorized as MDF and hence not acceptable for the purpose. Therefore, CA area proposed for plantation is less than the required CA area. Hence, it may be re-visited.

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहीत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम करवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

(शशि शंकर)

उप वन महानिरीक्षक

प्रतिलिपि:-

- I. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह — नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखाने मार्ग, पटना-800014.
- II. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, भोजपुर वन प्रमण्डल, बिहार।
- III. परियोजना निदेशक, NHAI, PIU, पटना, बिहार।
- IV. गार्ड फाईल।